ग्राम पंचायत वरूणा, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावनाः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत वरूणा, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती सरिता देवी	1.4.13 से 30.9.14
2	श्रीमती अनुसोमल	1.10.14 से 21.12.14
3	श्रीमती कांता देवी	22.12.14 से 22.1.16
4	श्रीमती अनुसोमल	23.1.16 से 31.3.16

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री राजेश कुमार	1.4.13 से 5.2.14
2	श्री भीषम सिंह	6.2.14 से 5.6.14
3	श्री विजय कुमार	6.6.14 से 10.11.14
4	श्री रविन्द्र कुमार	11.11.14 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत वरूणा के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का सार	राशि (लाखों में)
1	5	पंचायत राजस्व की वसूली शेष पाया जाना	0.29
2	7	खाता ख में अर्जित ब्याज को खाता क में अन्तरित न करना	0.28

3	11	अनुदान का उपयोग न करना	5.73
4	12	औपचारिकताओं के पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर की खरीद	2.71
5	13	सहभागी समिति गठित किए बिना कार्य का निष्पादन	6.69

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत वरूणा, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री तरबीज कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 1.3.2017 से 7.3.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 5/13, 9/14 व 4/15 तथा 9/13, 3/15 व 6/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत वरूणा, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31. 3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 251 दिनांक 7.3.17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत वरूणा से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत वरूणा द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

(1) स्वः स्त्रोतः– ग्राम पंचायत वरूणा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 तक स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण **परिशिष्ट–1** के अनुसार निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	371595.50	225630	597225.50	407142	190083.50
2014–15	190083.50	274172	464255.50	189240	275015.50
2015–16	275015.50	170920	445935.50	301390	144545.50

(2) अनुदानः– ग्राम पंचायत वरूणा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में दिया गया हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	7992	729711	737703	680975	56728
2014–15	56728	657561	714289	485524	228765
2015–16	228765	1536900	1765665	1192881	572784
				स्वःस्त्रोत व अनुदान राशि का कुल योग	**₹717329.50**

दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशि का विवरणः–

क्रमांक	अनुदान	के0सी0सी0 धमेटा का फतेहपुर खाता सं0	राशि
1	सभा निधि	फतेहपुर 20028012777	144545.50
2	TSC/SBM	धमेटा 50054610251	334961
3	IAY	धमेटा 50054609449	Nil
4	MPLAD	धमेटा 50054610171	66027
5	VKVNY	धमेटा 50054610193	55
6	ZP	धमेटा 50054610217	30899
7	P/S	धमेटा 50054610239	140842
8	Manrega	धमेटा 20022004397	Nil
		योग	**₹717329.50**

अन्तशेष का विवरणः–

(क)	दिनांक 31.3.16 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष	₹717329.50
(ख)	दिनांक 31.3.16 को बैंक में कुल जमा राशि	₹717329.50

5 पंचायत राजस्व ₹0.29 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत की स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹28700 की वसूली शेष थी।

1 गृहकरः–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	11775	10625	22400	14950	7450
2014–15	7450	10625	18075	–	18075
2015–16	18075	10625	28700	–	28700

2 भू राजस्व					
2013–14	–	358	358	358	–
2014–15	–	358	358	358	–
2015–16	–	358	358	358	–

6 नियमों के विरूद्ध आठ बैंक खातों का खोला जानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वः संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु पंचायत द्वारा दो के स्थान पर पैरा 4 के अनुसार आठ बैंक बचत खाते खोले गए है। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन छः अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

7 खाता "ख" में अर्जित ब्याज ₹0.28 लाख ब्याज को खाता "क" में अन्तरित न किया जानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी व जुलाई में पंचायत द्वारा खाता "ख" में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु बैंक खातों की जाँच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्नविवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता "ख" से सम्बन्धित बचत खातों में अर्जित ब्याज को उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता "क" में अन्तरित नहीं किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को तुरन्त खाता "ख" के समस्त बैंक खातों से निकाल कर खाता "क" में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

		अवधि		
खाता संख्या	**2013–14**	**2014–15**	**2015–16**	**कुल ब्याज (₹)**
50054610251	1	395	12915	13311
50054609449	1107	1499	814	3420
50054610171	–	103	2999	3102

50054610193	1	2	2	5
50054610217	650	401	2023	3074
50054610239	1	1033	1456	2490
20022004397	2345	–	–	2345
	4105	**3433**	**20209**	**27747**

8 कर माँग व प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध न करवाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान जाँच में स्व स्त्रोत, जैसे कि गृहकर, भू राजस्व इत्यादि से प्राप्त आय से सम्बन्धित माँग व एकत्रीकरण रजिस्टर अंकेक्षण में आवश्यक जाँच में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके अभाव में करों की कुल वसूली की सत्यता व शेष वसूली की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः पंचायत से सम्बन्धित उक्त अभिलेख को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित अभिलेख तैयार करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 वर्गीकृत सार रजिस्टर को तैयार न करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार एक भाग आय के लिए तथा दूसरा भाग व्यय के लिए तैयार किया जाना अपेक्षित है। जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जायेगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति को तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

10 रोकड़ बही को नियमानुसार तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जाऐगें और आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता–क के रूप में जाना जायेगा। इसी तरह नियम–3 में संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण हेतु पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता–ख जाना जायेगा परन्तु जाँच

में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में ग्राम पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ बही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता–क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

11 अनुदान ₹5.73 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹572784 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

12 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.71 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताऐं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹271249 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 सहभागी समिति गठित किए बिना ₹6.69 लाख के कार्य निष्पादन बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 के अनुसार प्रत्येक कार्य के निष्पादन के लिए पृथक सहभागी समिति गठित की जाएगी। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित मामलों की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–3**

में दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹669000 का व्यय बिना सहभागी समिति के गठन के किया गया। अतः निर्माण कार्यों का निष्पादन बिना सहभागी समिति के गठन के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा भविष्य में प्रत्येक कार्य के निष्पादन के लिए सहभागी समिति गठित करनी सुनिश्चित की जाए।

14 अभिलेख का अंकेक्षण में प्रस्तुत न किया जानाः–

मनरेगा रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 5 वाउचर संख्या शून्य दिनांक 15.6.15 के द्वारा ₹13833 का भुगतान हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम को दर्शाया गया था। यह भुगतान 53 बैग सीमेन्ट की खरीद हेतु किया गया था जिससे सम्बन्धित बिल वाउचर स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में दर्शाये व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने के कारण स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	31	95 (1)
4	मासिक समाधान विवरणी	15	–
5	विभिन्न अनुदानों के लेजर	7	29 (1)
6	खाते मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)

16 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना

अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 **लघु आपत्ति विवरणिका:—** यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

18 **निष्कर्ष:—** लेखों के रख रखाव में सुधार एवं कड़ें निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

पृष्ठांकन संख्या:— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 98/2017—खण्ड—1—3227—3230 दिनाँक 12.06.2017
शिमला—171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:—

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत वरूणा, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड फतेहपुर, तहसील फतेहपुर, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

(परिशिष्ट–2)

(पैरा–12 के सन्दर्भ में)

ग्राम पंचायत वरूणा, विकास खण्ड फतेहपुर (कांगड़ा) द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

क्रमांक	निधि	वा0सं0/दिनांक	विवरण	राशि
1	सभा निधि	17/23.5.13	श्री राज कुमार को रेत बोल्डर आदि की आपूर्ति का भुगतान	11900
2	सभा निधि	20/23.5.13	–यथोपरि–	12215
3	सभा निधि	22/23.5.13	–यथोपरि–	8100
4	सभा निधि	46/23.9.13	–यथोपरि–	15800
5	सभा निधि	52/23.9.13	–यथोपरि–	5000
6	सभा निधि	61/23.10.13	–यथोपरि–	16000
7	सभा निधि	78/27.1.14	मैसर्ज खान पैंटरज एवं आटर्स फतेहपुर को बोर्ड आदि लिखने का भुगतान	11000
8	सभा निधि	47/10.11.15	श्री विकास कुमार को रेत बजरी बोल्डर आदि की आपूर्ति का भुगतान	33950
9	सभा निधि	45/10.11.15	मैसर्ज बाबा फरीद ब्रिक इन्डस्ट्रीज द्वारा ईन्टों की सप्लाई का भुगतान	19500
10	सभा निधि	49/7.12.15	श्री विकास कुमार द्वारा रेज बजरी बोल्डर आदि की सप्लाई का भुगतान	20350
11	मनरेगा	2/1.6.13	श्री अरजन सिंह द्वारा रेत बजरी बोल्डर आदि की आपूर्ति भुगतान	20220
12	मनरेगा	3/1.6.13	श्री राज कुमार द्वारा रेत, बजरी बोल्डर आदि की आपूर्ति का भुगतान	15000
13	मनरेगा	27/23.10.13	–यथोपरि–	14000
14	मनरेगा	45/24.2.14	–यथोपरि–	25264
15	मनरेगा	1/25.8.14	–यथोपरि–	27050
16	मनरेगा	2/25.8.14	–यथोपरि–	15900
			कुल	**₹271249**

(परिशिष्ट–3)

(पैरा–13 के सन्दर्भ में)

ग्राम पंचायत वरूणा, विकास खण्ड फतेहपुर (कांगड़ा) द्वारा सहभागी समिति गठित किए बिना ₹6.69 लाख के कार्य निष्पादन बारेः–

क्रमांक	निधि	कार्य का विवरण	राशि
1	सभा निधि	निर्माण चार दीवारी व पक्का प्रांगण ग्राम पंचायत वरूणा	89000
2	मनरेगा	निर्माण चैक डैम भूमि कटाव को रोकने हेतु बलविन्द्र, जसवन्त सिंह आदि की भूमि में	100000
3	मनरेगा	निर्माण रिटेनिंग वाल साहब सिंह, स्वर्ण सिंह आदि की भूमि के पास	100000
4	मनरेगा	निर्माण चैक डैम, रिटेनिंग वाल गाँव बेरडा	150000
5	मनरेगा	बुटि उखाडना व पौधा रोपण महिन्द्र आदि की जमीन में गाँव जखवह	150000
6	मनरेगा	निर्माण कुआं तारू राम की जमीन में	80000
		कुल	**₹669000**